संख्या-34/2017/आर-637/26-3-2017-8(विविध)/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः-30 मार्च 2017

विषयः-वर्ष 2016-17 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-358/80/ज.जा.वि.2016-17, दिनांक-08.03.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'2225-02-796-01-0104-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि के सापेक्ष एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच के संचालन हेतु रूपया-7.55 लाख (रूपया सात लाख पचपन हजार मात्र) धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-34/2017/आर-637/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-34 /2017/आर-637/26-3-2017-8(विविध)/2017, दिनांक-30-मार्च 2017 का संलग्नक

एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बोझिया-बहराईच के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 की विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृति का विवरण

(रूपया लाख में)

क्र. से	विवरण	वर्ष 2016-17 हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
1	वेतन (संस्था की मांग के अनुसार)	–
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय (संस्था की मांग के अनुसार)	0.40
3	30 छात्रों हेतु भोजन व्यवस्था पर व्यय (रू0 1200+180+1380 प्रति छात्र प्रति माह की दर से 09 माह हेतु)	3.73
4	30 छात्रो हेतु टेस्ट बुक 400/-प्रति छात्र प्रति वर्ष	0.12
5	30 छात्रों हेतु यूनीफार्म (सूती एवं गर्मी) रू0 2500/प्रति छात्र प्रति वर्ष	0.75
6	30 छात्रों हेतु दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री टाइलेट आइटम रू0 1000/-प्रति छात्र प्रति वर्ष	0.30
7	अन्य विविध व्यय 1 30 छात्रों हेतु चिकित्सा व्यय रू0 30/-प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 9 माह हेतु रू0 0.081 2 30 छात्रों हेतु स्टेशनी व्यय रू0 85/-प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 9 माह हेतु रू0 0.22950 3 30 छात्रों हेतु यात्रा रू0 20/-प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह हेतु रू0 0.054	0.45
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (कम्प्यूटर) संस्था की मांग के अनुसार	–
9	30 छात्रों हेतु विस्तर की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	1.05
10	बर्तनों की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	0.75
11	किचन में गैस प्लांट की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	–
12	पुस्तकालय की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	–
13	जनरेटर में डीजल आदि की व्यवस्था (संस्था की मांगानुसार)	–
14	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों का भुगतान (संस्था की मांग के अनुसार)	–
	योग :-	7.55

(रूपया सात लाख पचपन हजार मात्र)

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।